न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 204/2018

अनवान :

1. चरणसिंह पुत्र रोहताश जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
2. कुलदीप पुत्र रोहताश जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. रोहताश पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
2. कौशल्या पुत्री रोहताश जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
3. गायत्री पुत्री रोहताश जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
4. कलावती पत्नी रोहताश जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री विरेन्द्र जाखड़ : **वादीगण**

वकील श्री प्रेमप्रकाश झोरड़ : **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 20.2.19

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 7 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 109/98 के मु0नं0 9 के किला नं0 5, 6, 7/1 मु0नं0 10 के किला नं0 1 व 10 कुल किता 5 की 1.139 है0 नहरी खातेदारी एवं चक 6 जेजीडब्ल्यु के वर्तमान खाता सं0 116/101 के मु0नं0 62 के किला नं0 7 ता 9, 12 ता 14, 17 ता 19, 25 मु0नं0 63 के किला नं0 21 कुल किता 11 की 2.783 है0 नहरी मय रास्ता की खातेदारी प्रतिवादी रोहताश के नाम से खातेदारी दर्ज है।

वादभूमि पहले वादीगण के दादा पोकरराम की खातेदारी हुआ करती थी। वादीगण के दादा पोकरराम की वर्ष 1995 में देहान्त हो गया था। जिसके उपरान्त उक्त वादभूमि तन्हा प्रतिवादी रोहताश के नाम महज कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी रोहताश के नाम से दर्ज हो गई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 हिन्दू है तथा हिन्दू विधि एवं हिन्दू उतराधिकार अधिनियम से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी रोहताश के नाम दर्ज होने से वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादीगण ने जबाबदावा पेश किया कि वाद भूमि पहले पोकरराम की खातेदारी हुआ करती थी। पोकरराम का देहान्त हो गया है एवं उक्त भूमि विरासतन में प्रतिवादी रोहताश के नाम दर्ज हुई है। वादीगण एवं प्रतिवादी हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से ही शासित होते है।

साक्ष्य वादीगण में पीडब्ल्यु 1 चरणसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 6 जेजीडब्ल्यु खाता सं0 116/101 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 1, चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 7 जेजीडब्ल्यु खाता सं0 109/98 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 2, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग 7 जोगीवाला सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 3, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी भूमि एकीकरण विभाग 7 जोगीवाला सम्वत् 2016 प्रदर्श 4, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी भूमि एकीकरण विभाग चक 6 जोगीवाला सम्वत् 2016 प्रदर्श 5, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग चक 6 जोगीवाला सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 6, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी चक 6 जेजीडब्ल्यु सम्वत् 2048 प्रदर्श 7, शपथ पत्र प्रदर्श 8, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 9 प्रदर्शित करवाऐ।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि वादभूमि पहले वादीगण के दादा पोकरराम की खातेदारी हुआ करती थी। वादभूमि वादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने चक 6 व 7 जेजीडब्ल्यु के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादीगण के अपने दावा में वादभूमि दादालाई कृषि भूमि होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादीगण ने प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग 7 जोगीवाला सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 3, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी भूमि एकीकरण विभाग 7 जोगीवाला सम्वत् 2016 प्रदर्श 4, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी भूमि एकीकरण विभाग चक 6 जोगीवाला सम्वत् 2016 प्रदर्श 5, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग चक 6 जोगीवाला सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 6, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी चक 6 जेजीडब्ल्यु सम्वत् 2048 प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाई है जिनमें वाद भूमि वादीगण के दादा पोकर वल्द नानू के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है इसके अलावा प्रतिवादीगण ने भी अपने जबाबदावा में वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि होना स्वीकार करते हुए दावा की मद सं0 7 पर कोई एतराज नहीं होना अंकित किया है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 9 में रोहताश के वारिसान में पत्नी कलावती, दो पुत्र चरणसिंह, कुलदीप व दो पुत्रियां कौशल्या व गायत्री होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित किया है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 पांचों वाद कृषि भूमि में अपने हक हिस्सा के कानूनी अधिकारी है।

अत : वाद वादीगण आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 109/98 के मु0नं0 9 के किला नं0 5,

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
(जिला-हनुमानगढ़)

6, 7/1 मु0नं0 10 के किला नं0 1 व 10 कुल किता 5 की 1.139 है0 नहरी खातेदारी एवं चक 6 जेजीडब्ल्यु के वर्तमान खाता सं0 116/101 के मु0नं0 62 के किला नं0 7 ता 9, 12 ता 14, 17 ता 19, 25 मु0नं0 63 के किला नं0 21 कुल किता 11 की 2.783 है0 नहरी मय रास्ता की खातेदारी प्रतिवादी रोहताश के नाम से खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 रोहताश के बजाय वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 पांचों 1/5–1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 पांचों के नाम 1/5–1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20-2-19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ (राज0)

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राज.)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 204/2018

अनवान :

1. चरणसिंह पुत्र रोहताश जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
2. कुलदीप पुत्र रोहताश जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. रोहताश पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
2. कौशल्या पुत्री रोहताश जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
3. गायत्री पुत्री रोहताश जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
4. कलावती पत्नी रोहताश जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री विरेन्द्र जाखड़ एवं वकील प्रतिवादीगण श्री प्रेमप्रकाश झोरड़ की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 109/98 के मु0नं0 9 के किला नं0 5, 6, 7/1 मु0नं0 10 के किला नं0 1 व 10 कुल किता 5 की 1. 139 है0 नहरी खातेदारी एवं चक 6 जेजीडब्ल्यु के वर्तमान खाता सं0 116/101 के मु0नं0 62 के किला नं0 7 ता 9, 12 ता 14, 17 ता 19, 25 मु0नं0 63 के किला नं0 21 कुल किता 11 की 2.783 है0 नहरी मय रास्ता की खातेदारी प्रतिवादी रोहताश के नाम से खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 रोहताश के बजाय वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 पांचों 1/5–1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 पांचों के नाम 1/5–1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20.2.19 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ (राज.)

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़